

भारतीय मानक ब्यूरो

तत्काल जारी करने हेतु

प्रेस नोट सं: पीआरडी/प्रेस नोट/17/2018-19
2018

28 नवंबर

बीआईएस ने जाली एमसीबी को जब्त किया

बीआईएस के दिल्ली शाखा कार्यालय-II सूचना मिली थी कि ख्याला, पीरागढ़ी एवं गुर मण्डी (राणा प्रताप बाग), दिल्ली में स्थित तीन फैक्ट्रियों में जाली आईएसआई मुहर वाले एमसीबी बनाए जा रहे हैं।

दिल्ली शाखा कार्यालय-II के दो अधिकारियों की तीन टीमों को संबंधित पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों की सहायता से उन फैक्ट्रियों के परिसर में छापा मारने के लिए भेजा गया। परिसर में सारे सामान पर जाली आईएसआई मुहर पाई गई। परिसर में जाली आईएसआई मुहर वाले एमसीबी बनाए जा रहे थे जो कि बीआईएस अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। परिसर से जाली आईएसआई मुहर लगे एमसीबी बरामद किए गए।

बीआईएस समय-समय पर आम जनता को उनके हित में चेतावनी और सलाह देता है कि वह आईएसआई मुहर लगा सामान खरीदते समय सावधान रहें क्योंकि अनैतिक तत्वों द्वारा बड़ी मात्रा में जाली आईएसआई मुहर वाला सामान बाजार में उतारा जाता है। आईएसआई मुहर के दुरुपयोग की सूचना मिलने पर बीआईएस तुरंत और समय पर तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही करने के साथ दोषी के विरुद्ध बीआईएस अधिनियम 2016 के अंतर्गत अभियोग की कार्यवाही करता है।

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

FOR IMMEDIATE RELEASE

Press Note No: PRD/Press Note/17/2018-19

28 November 2018

BIS SEIZES MCB's

BIS conducted Search and Seizure operation in Peeragarhi, khayala and Gud Mandi Area on 27/11/2018 with the assistance of local police.

During the operation, MCB's were found being manufactured in various brands with spurious ISI mark in violation of **Sections 11, 14(6) or 14(8), 15, 17 of BIS Act, 2016.**

During the raid, huge quantities of MCB's with spurious ISI mark & also without mandatory marking were seized. This offence is punishable under BIS Act 2016 which includes fine or imprisonment upto one year or both. The Act also provides for forfeiture of any property in respect of which contravention has taken place. Legal action, including launching of prosecution against the offender is being initiated by BIS.

BIS, from time to time, cautions the general public, in their own interest, and advises to be careful while purchasing ISI marked material since large quantity of spurious ISI marked material have been pushed into the markets by unscrupulous elements. In case any misuse of ISI mark is detected and reported to BIS, prompt and timely action is taken by the Bureau for carrying out search & seizure operation(s) and launching prosecution against the offenders under **Sections 11, 14(6) or 14(8), 15, 17 of BIS Act, 2016.**

